केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) सं. रेसुब 01/2024 उप निरीक्षक (कार्यकारी)

<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

प्र.1 ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है?

उत्तर. ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक तिथि 15-04-2024 है।

प्र.2 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14-05-2024 (23.59 बजे) है।

प्र.3 ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथियां क्या हैं?

उत्तर. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही संशोधन विंडो खुलेगी। संशोधन विंडो 15-05-2024 से 24-05-2024 तक सक्रिय रहेगी। <u>यदि कोई उम्मीदवार 'क्रिएट एन एकाउंट' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरे</u> गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वे प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (अप्रतिदेय) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं।

प्र.4 क्या अनिवासी भारतीय आवेदन करने के पात्र हैं?

उत्तर. अनिवासी भारतीय आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

प्र.5 क्या पीडब्ल्यूबीडी (PwBD) उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं?

उत्तर. पीडब्ल्यूबीडी (PwBD) उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

प्र.6 आवेदन करने के लिए पात्र आयु क्या है?

उत्तर. कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 5.0, 5.1 और 5.2 देखें।

प्र.7 आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि क्या है?

उत्तर. आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि 01-07-2024 है।

प्र.8 निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है?

उत्तर. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (कृपया विस्तृत सीईएन अनुबंध-ए देखें)।

प्र.9 मेरी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने की संभावना है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर. नहीं, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास सीईएन की अंतिम तिथि (अर्थात,14-05-2024) को या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

प्र.10 रेसुब उप निरीक्षक (कार्यकारी) के पद के लिए मेडिकल फिटनेस के मानक क्या हैं?

उत्तर. कृपया विस्तृत सीईएन का पैरा 3.0 देखें। **चश्मा पहनने वाले या फ्लैट फुट, नॉक नी, भेंगी आंखें, कलर ब्लाइंडनेस और शरीर की अन्य दुर्बलताएं वाले लोग नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।**

प्र.11 शुल्क में छूट के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर. अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जन जाति(एसटी), भूतपूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं।

प्र.12 'क्रिएट एन एकाउंट' के लिए आवश्यकताएं क्या हैं?

उत्तर. उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए।

प्र.13 मैंने सीईएन सं. 01/2024 (एएलपी) या 02/2024 (तकनीशियन) या रेसुब 02/2024 कांस्टेबल (कार्यकारी) के लिए एक एकाउंट बनाया है। क्या मुझे इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एक और एकाउंट बनाना चाहिए?

उत्तर. नहीं, जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही सीईएन सं. 01/2024 (एएलपी) या 02/2024 (तकनीशियन) या रेसुब 02/2024 कांस्टेबल (कार्यकारी) के लिए एकाउंट बना लिया है, उन्हें दोबारा एकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीईएन सं. रेसुब 01/2024 उप निरीक्षक (कार्यकारी) के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना चाहिए।

प्र.14 यदि सीईएन सं. 01/2024 (एएलपी) या 02/2024 (तकनीशियन) या रेसुब 02/2024 कांस्टेबल (कार्यकारी) के लिए एकाउंट नहीं बनाया गया है, तो 'क्रिएट एन एकाउंट' की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. यदि उम्मीदवारों ने उपरोक्त सीईएन के लिए एकाउंट नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **आवेदन लिंक होम पेज पर "अप्लाई "** टैब पर क्लिक करते हुए 'क्रिएट एन एकाउंट' पर क्लिक करें। ऑनलाइन 'क्रियेट एन एकाउंट' फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों, विशेष अक्षरों और संख्याओं का संयोजन होना चाहिए। सफल तापूर्वक "क्रिएशन ऑफ एकाउंट" के बाद उम्मीदवारों को पुष्टिकरण एसएमएस और ईमेल प्राप्त होगा।

प्र.15 क्या मैं एकाउंट बनने के बाद 'क्रिएट एन एकाउंट' विवरण संशोधित कर सकता हूँ?

उत्तर. एकाउंट बनाने के बाद "क्रियेट एन एकाउंट" फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) को किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता है।

प्र.16 यदि मैंने पहले ही अपना नाम बदल लिया है , तो मुझे कौन -सा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?

उत्तर. आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज होना चाहिए, और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध पर इसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन या परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

आवेदकों को 'क्रिएट एन एकाउंट' के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा. इस प्रकार के मामले में आवेदन पत्र में दोनों नाम सामने आएंगे.

प्र.17 आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर. परीक्षा केंद्र पर सुगम प्रवेश के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। अपनी सुविधा और आसानी के लिए , पहचान दस्तावेज के अन्य माध्यमों के अलावा आधार सत्यापन का उपयोग करना बेहतर है। आरआरबी आधार विवरण किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या इस सीईएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग नहीं करेंगे।

प्र.18 यदि मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर. उम्मीदवार के पास यदि आधार नहीं है, तो वे निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक का विवरण केवल तभी दे सकते हैं :

1. ड्राइविंग लाइसेंस
2. पासपोर्ट
3. पैन कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी)
5. नियोक्ता आईडी (सरकारी)
6. स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय (यदि अभी अध्ययनरत हैं)

ऑनलाइन आवेदन में चयनित दस्तावेज़ भर्ती के विभिन्न चरणों यानी सीबीटी ,

पीईटी/पीएमटी, डीवी और एमई के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्र.19 लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. एप्लिकेशन लिंक 'होम' पेज पर जाएं। 'अप्लाई' टैब के अंतर्गत, ड्रॉपडाउन मेनू से 'अलरेडी हैव एन एकाउंट' चुनें। पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करके अपने एकाउंट में साइन इन करें, उसके बाद पासवर्ड, कैप्चा डालें और फिर लॉगिन के लिए सबमिट करें।

प्र.20 यदि मैं अपने एकाउंट में साइन इन करने के लिए पासवर्ड भूल गया तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर. लॉगिन पेज के "साइन इनटू योर एकाउंट" पर "फॉरगट पासवर्ड " विकल्प पर क्लिक करें। पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड केवल उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा।

प्र.21 क्या मैं अपने एकाउंट का पासवर्ड रीसेट/बदल सकता हूँ?

उत्तर. हां, लॉग इन करने के बाद "ऑनलाइन एप्लिकेशन पेज" के ऊपर दाईं ओर उपलब्ध "चेन्ज पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड को रीसेट/बदला जा सकता है।

प्र.22 लॉगिन के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. पाँच व्यापक खंड हैं: व्यक्तिगत विवरण , अन्य विवरण , शैक्षिक योग्यता , प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ अपलोड करें, प्रिव्यू एवं प्रिफरेन्स और सबमिट ।

व्यक्तिगत विवरण से शुरू करते हुए , सभी विवरण दर्ज करके शुरुआत करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद केव करें और अगले खंड के लिए आगे बढ़ें, और अंतिम खंड अर्थात् प्रिव्यू एवं प्रिफरेन्स और सबमिट तक पहुंचने तक इसी तरह से जारी रखें, जहां एक उम्मीदवार अंततः भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद , आवेदक को आरआरबी से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद , उम्मीदवार पंजीकरण संख्या वाले सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकता है।

नोट : जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आरआरबी अधिसूचना सं . 01/2024(एएलपी), 02/2024 (तकनीशियन) और रेसुब 02/2024 कांस्टेबल (कार्यकारी) के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए आवेदन करते समय अपने पिछले सहेजे गए डेटा से प्राप्त डेटा की जांच करें। व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षिक योग्यता और शुद्धता के लिए आवेदन मॉड्यूल के प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ (फोटो और हस्ताक्षर) अपलोड करें और फिर भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के लिए आगे बढ़ें। 'क्रियेट एन एकाउंट' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

प्र.23 क्या मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भुगतान करने से पहले अपना आवेदन विवरण संशोधित कर सकता हूँ?

उत्तर. नहीं, उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद विवरण संशोधित नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रिव्यू में अपने द्वारा भरे गए विवरण की सटीकता के लिए प्रिफरेन्स एवं प्रिव्यू और सबमिट पृष्ठ पर दोबारा जांच करें और यदि सभी जानकारी सही है तो आगे आवेदन जमा करें क्योंकि भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि आवेदन प्रिव्यू में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे 'एडिट' बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आवेदन मॉड्यूल के संबंधित पृष्ठ पर गलत जानकारी को सुधार सकते हैं, फिर करेक्टनेस के लिए आवेदन का प्रिव्यू कर सकते हैं और आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। **यदि कोई उम्मीदवार 'क्रियेट एन एकाउंट' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइलनंबर सहित) में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वे दि.15-05-2024 से 24-05-2024 तक मॉडिफिकेशन विंडो के दौरान प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (नॉन-रिफंडबल) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं।**

प्र.24 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (मुफ्त रेलवे पास) के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर. केवल अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित उम्मीदवार ही 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (मुफ्त रेलवे पास) का लाभ उठा सकते हैं।

प्र.25 मैं 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (मुफ्त रेलवे पास) का लाभ कैसे उठा सकता हूँ?

उत्तर. यह सुविधा व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के सामुदायिक अनुभाग पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है. वे 'क्या आप परीक्षा के लिए मुफ्त रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं ' के अंतर्गत ड्रॉप डाउन से 'हां' विकल्प चुनकर और 'निकटतम रेलवे स्टेशन' भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं. केवल मुफ्त रेल यात्रा पास प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ही अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा.

प्र.26 मुझे निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त होगी ?

उत्तर. पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में उनके ई-कॉल लेटर में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा. उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर ई- कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का मूल प्रमाण पत्र साथ लाना चाहिए , ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा.

प्र.**27** मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ ?

उत्तर. जांचें करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज़'पीडीएफ' प्रारूप (500 केबी तक) में है या नहीं.

प्र.**28** ईबीसी क्या है?

उत्तर. ईबीसी'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' है; आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है. **उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए.**

प्र.**29** ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं? क्या वे आरक्षण लाभ के पात्र हैं?

उत्तर. ईबीसी उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में रियायत' दी जाती है लेकिन **वे आरक्षण लाभ के लिए पात्र नहीं हैं.**

प्र.**30** यदि कोई उम्मीदवार ईबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

उत्तर. यदि किसी उम्मीदवार ने ईबीसी के रूप में शुल्क रियायत का लाभ उठाया है , तो उसके पास वैध आय प्रमाण पत्र (सीईएन के अनुबंध III (ए) के अनुसार) या बीपीएल कार्ड या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र या इज्जत एमएसटी होना चाहिए. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले रेलवे द्वारा और इसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल रूप में भी जमा किया जाना चाहिए, **अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकृत की जाएगी.** पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 7.3 को देखें.

प्र.**31** अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कौन शामिल है?

उत्तर. अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और जोरष्ट्रीयन (पारसी) शामिल हैं, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात 14-05-2024) तक प्राप्त होने पर संशोधन/हटाने/शामिल किए जाने के अधीन हैं.

प्र.**32** अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं ? यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा तो क्या होगा?

उत्तर: अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में रियायत' दी जाती है और **वे आरक्षण लाभ के लिए पात्र नहीं हैं.** परीक्षा शुल्क में रियायत का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा (सीईएन के अनुलग्नक IV के अनुसार) के लिए एक हलफनामा जमा करना होगा , **ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दिया जाएगा.**

प्र.**33** एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस स्थिति का दावा करने की महत्वपूर्ण तारीख क्या है?

उत्तर. इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर एससी , एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए समुदाय/श्रेणी की स्थिति को केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए माना जाएगा. इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा. कृपया संपूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 8.0 से 8.8 (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) देखें.

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है. डीवी के दौरान , ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा प्रारूप) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध है.

प्र.**34** यदि उम्मीदवारों के पास राज्य प्रारूप में अपना सामुदायिक प्रमाण पत्र है. क्या वे आवेदन करने के पात्र हैं?

उत्तर. एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार इस शर्त के अधीन आवेदन करने के पात्र हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि (अर्थात 14-05-2024) के अनुसार उसी समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूची में उपलब्ध होना चाहिए.) और दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए.

प्र.**35** ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाने का मानदंड क्या है?

उत्तर. संपूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत रूप से सीईएन का पैरा8.8 देखें.

प्र.**36** मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूं. क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर. आप इस सीईएन के लिए एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं यदि आपको इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात 14-05-2024) से एक वर्ष के भीतर सेवा से मुक्त कर दिया गया है.

प्र.**37** मैंने पहले ही एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में सिविल रोजगार हासिल कर लिया है। क्या मैं इस सीईएनके तहत भूतपूर्व सैनिक का लाभ हेतु पात्र हूं?

उत्तर. पूर्व-सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व-सैनिकों को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' (पीएसयू, स्वायत्त निकायों / वैधानिक निकायों , राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में केंद्र सरकार के तहत पहले ही सिविल रोजगार हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार के तहत ग्रुप 'सी'/तत्कालीन ग्रुप 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और नागरिक रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कृपया पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन का पैरा 10.0 देखें।

प्र.**38** डीवी (दस्तावेज़ सत्यापन) के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करनी चाहिए?

उत्तर. रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा धीन सहित) उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से एक एनओसी प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

प्र.**39** आवेदन में शैक्षणिक योग्यता पृष्ठ पर केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएँ कैसे जोड़ूँ?

उत्तर. 'क्वालिफिकेशन' बटन के अंतर्गत संबंधित योग्यता का चयन करें, आवश्यक योग्यता विवरण भरें और 'एड' बटन पर क्लिक करें।

प्र.**40** यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष अंकित है तो मुझे आवेदन में कौन-सी तारीख दर्ज करनी चाहिए?

उत्तर. यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रों पर तारीख उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणपत्र पर उल्लिखित माह की अंतिम तारीख दर्ज करें। उदाहरण के लिए: अप्रैल- 2022 को 30-04-2022 के रूप में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

प्र.**41** यदि जिलों/राज्यों को विभाजित कर दिया गया है तो मुझे किस जिले/राज्य का उल्लेख करना चाहिए?

उत्तर. वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले कुछ जिलों को संबंधित राज्य के लिए नहीं दिखाया जाएगा। अर्थात् आंध्र प्रदेश के दो राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में विभाजन के बाद। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों के जिलों को और विभाजित कर दिया गया है। इसलिए, अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।

प्र.**42** कुल कितने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे?

उत्तर. उम्मीदवारों को सीईएन के निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार वर्तमान स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीईजी छवि अपलोड करनी होगी। एससी/एसटी उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जो मुफ्त यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं।

प्र.**43** अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेज़ों का आकार क्या होना चाहिए?

उत्तर. जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में 500 केबी तक होना चाहिए; नवीनतम स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जेपीईजी प्रारूप में 30 केबी से 70 केबी के बीच होना चाहिए और हस्ताक्षर जेपीईजी प्रारूप में 30 केबी से 70 केबी के बीच होना चाहिए।

प्र.**44** किस प्रकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड किया जाना चाहिए?

उत्तर. उम्मीदवार की हालिया स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर (एक सादे सफेद पृष्ठभूमि के साथ) की स्कैन की गई जेपीईजी छवि (आकार 30 से 70 केबी) - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने, **रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए (16-10-2023 से पहले की नहीं) समान्य लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन किए जाए JPEG छवि (आकार 30 से 70KB) पासपोर्ट आकार की छवि और हस्ताक्षर के सभी आयाम निर्धारित विशिष्टताओं के साथ 'अपलोड प्रोफ़ाइल दस्तावेज़' पृष्ठ में प्रदर्शित किए गए हों।**

सावधानी:**अमान्य फोटो** (अर्थात , निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार नहीं) जैसे खराब रिज़ॉल्यूशन, पूरे शरीर का दृश्य, केवल साइड का दृश्य, पहचान में न आने वाली चेहरे की विशेषताएं, फोटोकॉपी की गई तस्वीर, समूह फोटो, झुकी/उल्टी छवि, सेल्फी, टोपी के साथ, कालेचश्मे के साथ, 6 महीने से अधिक पुराना, पासपोर्ट आकार आदि के अलावा अन्य को अस्वीकार कर दिया जाएगा। **अमान्य हस्ताक्षर** (अर्थात, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं)जैसे सामान्य हस्ताक्षर के स्थान पर बड़े/बड़े अक्षरों का उपयोग , खराब रिज़ॉल्यूशन, अपूर्ण छवि, आदि को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्र.**45** मैं फीस का भुगतान कैसे कर सकता हूं?

उत्तर. शुल्क का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। फीस के अतिरिक्त उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क, जैसा लागू हो , लिया जाएगा। कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बारे में सावधान रहें। अनधिकृत वेबसाइटों से बचें.

प्र.**46** मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है और क्या मैं प्रिंटआउट ले सकता हूं?

उत्तर. प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन की अनंतिम स्वीकृति आरआरबी की ओर से सफल भुगतान के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा और उसके बाद उम्मीदवार आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

प्र.**47** सीबीटी का पाठ्यक्रम क्या है?

उत्तर. कृपया सीबीटी पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत सीईएन का पैरा 12.1(सी) देखें।

प्र.**48** भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं और मैं शिड्यूल कैसे जान सकता हूँ?

उत्तर. कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) , शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)/ शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा।

- **योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा कार्यक्रम और स्थान की जानकारी उचित समय पर आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।**

- **किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान , तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**

प्र.**49** क्या नकारात्मक अंक (नेगेटिव मार्किंग) होगा?

उत्तर. सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंक होगा।

प्र.**50** मुझे अपनी परीक्षा के लिए अपनी पसंद की भाषा कहां से चुननी चाहिए?

उत्तर. उम्मीदवार 'व्यक्तिगत विवरण' पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्र.**51** आरआरबी की 'रिफंड पॉलसी' क्या है? 'शुल्क वापसी' के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर. रिफंड पॉलसी: भुगतान के साथ आगे बढ़ते हुए , आवेदक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान गैर-वापसी योग्य है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में चार्जबैक नहीं कर सकते हैं। सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार विस्तृत सीईएन के पैरा 7.4 के अनुसार 'रिफंड ऑफ फी' (बैंक शुल्क काटकर) के लिए पात्र हैं। **त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

प्र.**52** आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?

उत्तर. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जमा किए गए आवेदन का अपना पंजीकरण नंबर नोट कर लें और याद रखें। पंजीकरण संख्या का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए किया जाएगा।

प्र.**53** आवेदन अस्वीकृत होने के संभावित कारण क्या हैं?

उत्तर. कृपया विस्तृत सीईएन का पैरा 16.0 देखें।

प्र.**54** आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर. उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी शंका समाधान के लिए:-

ईमेल: **rrb.help@csc.gov.in**

फोन: 9592001188 और 01725653333

(सभी कार्यदिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक)